बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०3/नि०4–40/99 12 पटना, दिनांक: 09.01.18

कार्यालय आदेश

श्री सुभाषचन्द्र सिंह तत्कालीन अंचलअधिकारी, धैलाढ़, मधेपुरा संप्रतिकनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्णियॉ के विरूद्ध बिना स्थल जॉच किये यंत्रवत अपने लाभ के लिए जानबूझकर विवादित जमीन क्रय कर सरकारी राशि का दुरूपयोग करने के लिए जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 500–2/स्था० दिनांक 01.07.2014 द्वारा समर्पित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं० 89 सहपठित ज्ञापांक 538 दिनांक 05.05.2015 एवं का०आ०सं० 297 सहपठित ज्ञापांक 1968 दिनांक 21.12.2015 द्वारा श्री सुभाषचन्द्र सिंह पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। साथ ही जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 1190/विधि दिनांक 30.12.2016 के आलोक में मधेपुरा (परमानंदपुर ओ०पी०) थाना कांड संख्या 401/2014 दिनांक 19.07.2014 धारा 467/468/471/406/120(बी०)/34 भा०द०वि० के अन्तर्गत इनके विरूद्ध निदेशालय के का०आ०सं०165 सहपठित ज्ञापांक 790 दिनांक 25.04.2017 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है।

उक्त विभागीय कार्यवाही में उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपरा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया । प्रपत्र 'क' में श्री सुभाष चन्द्र सिंह के विरूद्ध आरोप का गठन निम्नरूपेण किया गया था :–

श्री सुभाष चन्द्र सिंह, अंचल कार्यालय, धैलाढ़ में अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। मौजा भतरंधा (घोपा टोला) के कुल 33 महादलित परिवारों को वासभूमि रहित मानकर प्रत्येक परिवार को 3–3 डिसमिल की दर से जमीन आवंटित करने हेतु मौजा भतरंधा थाना नं०–35 खाता 2583 खेसरा 7220 की कुल 99 डिसमिल भूमि क्रय कर आवंटित कर दिया गया है, जबकि इन महादलित परिवारों को पूर्व से ही वासभूमि है और अधिकांश परिवार इंदिरा आवास बनाकर रह रहें है। साथ ही खेसरा संख्या 7220 की

भूमि हृदय यादव की पैतृक सम्पति है एवं इस भूमि को लेकर हृदय यादव के चारों पुत्रों में भूमि विवाद पूर्व से चल रहा है। जमीन के विवादित होने की सूचना श्री तारणी यादव पिता–स्व० हृदय यादव, मौजा–भतरंधा, टोला–घोपा, थाना + अंचल–धैलाढ़, जिला–मधेपुरा द्वारा भी आपको दी गयी थी। अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा के पत्रांक 89/गो०(सपत्र) दिनांक 21.11.2013 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में ज्ञापांक 10–2 (सपत्र)/स्था०, दिनांक–08.01.2014 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की मॉग की गई थी। आपने अपने पत्रांक 59–2 दिनांक 21.02.2014 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि " जिन महादलित परिवारों को 3–3 डिसमिल जमीन क्रय कर दिया गया है। यह कर्मचारी–सह–अंचल निरीक्षक द्वारा दिये गये नामों के आधार पर है।" इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा बिना स्थल जॉच किये यन्त्रवत अपने लाभ के लिए जानबूझ कर विवादित जमीन क्रय कर सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है।

यह आपके कार्य के प्रति लापरवाही एवं राशि के गवन में सहभागिता को दर्शाता है।

2. उप विकास आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 1284 दिनांक 14.09.2016 के द्वारा श्री सुभाषचन्द्र सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में निम्न प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी ने आरोपी श्री सुभाष चन्द्र सिंह के स्पष्टीकरण एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के प्रतिवेदन के विस्तृत समीक्षोपरान्त मंतव्य दिया है कि " आरोपी कर्मी द्वारा तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा के पत्रांक–89 गो०, (सपत्र) दिनांक 21.11.2013 में वर्णित 33 लाभुकों की सूची में दर्शाये गए आरोप के संबंध में अपना कोई भी जबाव अंकित नहीं किया है। जिन्हें पूर्व में ही इंदिरा आवास उपलब्ध कराया गया था। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी पर लगाये गये आरोप के संबंध में उनके (आरोपी पदाधिकारी) द्वारा तर्कपूर्ण साक्ष्य/ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी श्री सुभाष चन्द्र सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, धैलाढ़ संप्रति कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्णियॉ पर लगाया गया आरोप सही है।"

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने का समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक 1901 दिनांक 01.09.2017 द्वारा श्री सुभाष चन्द्र सिंह से अभ्यावेदन की मॉग की गयी । श्री सुभाष चन्द्र सिंह द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनांक

24.10.2017 को समर्पित किया गया है। श्री सुभाष चन्द्र सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में कोई ऐसा तथ्य नहीं दिया गया है कि जिससे यह साबित हो कि वे दोषी नहीं है।

4. इस प्रकार श्री सुभाष चन्द्र सिंह पर गठित आरोप एवं उस पर संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से इनपर कार्य के प्रति लापरवाही एवं सरकारी राशि के गबन में इनकी सहभागिता को दर्शाता है। अतः श्री सुभाष चन्द्र सिंह तत्कालीन अंचल अधिकारी, धैलाढ़, मधेपुरा संप्रति कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्णियॉ पर कार्य के प्रति लापरवाही एवं महादलितों के लिए जमीन क्रय में राशि के गबन में इनकी सहभागिता का आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप उन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

ह०/–

(पूनम)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०3/नि०4–40/99 74 पटना, दिनांक : 09.01.18

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
3. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/पूर्णियॉ।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियॉ।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा/पूर्णियॉ।
6. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के बेव–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री सुभाष चन्द्र सिंह तत्कालीन अंचल अधिकारी, धैलाढ़ संप्रति कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्णियॉ

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक